कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़।

पत्रांक:2013/हा0/15/हा0/15 दिनांक:जून 23 ,2013

सेवा में,

मैसर्स बाबा सौदान सिंह,
वीरवती पब्लिक स्कूल,
कुरावली मुरसान,तहसील हाथरस,
जनपद–हाथरस।

विषय– प्लाट संख्या–357,359/4, 369 जिला हाथरस में निर्मित मैसर्स बाबा सौदान सिंह वीरवती पब्लिक स्कूल, कुरावली मुरसान तहसील हाथरस के प्रस्वावित (स्कूल)भवन का अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आवेदक के पत्र संख्याः–निल दिनांकः 20.06.2013,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र संख्याः–निल दिनांक 20.06.2013 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों एवं अभिलेखों का परीक्षण श्री कुँवर सिंह, अग्निशमन अधिकारी,हाथरस द्वारा किया गया तो उनकी आख्या दिनाकः 22–06–13 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

भवन की संरचना–

कुल भूखण्ड एरिया 6800 वर्गमीटर

1–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 701.41 वर्गमीटर।

2–भवन की उचांई 7.60 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की B-I(i) श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचांगत व्यवस्था

1–पहुॅच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्र में 12 मीटर रोड की चौडाई है।

2–प्रवेश द्वार की चौड़ाई 7.60 मीटर जो मानक के अनुरूप है।

3–सैटबेक–प्रस्वावित भवन का सैटबैक निम्नवत है–

ए–अग्रभाग 18 मीटर।
बी–पृष्ठ भाग 30.63 मीटर।
सी–पार्श्व भाग प्रथम 6.23 मीटर।
डी–पार्श्व भाग द्वितीय 15.33 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोधक मुक्त रखे जायेगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4–निकास मार्ग–प्रस्तवित भवन में 02 स्टेयर जिसकी चौडाई 1.5 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफयूज एरिया का विवरण–(वॉछित नहीं)

अग्निसुरक्षा व्यवस्था–नेशनल बिल्ड़िग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1–होजरील–प्रस्वावित भवन में होजरील लैण्डिग वाल्व आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

2–वेटराईजर– प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0वी0सी0–2005 के मानकों के अनुरूप वॉछिनीय है।

Scanned with CamScanner

3—हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम—मफनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0वी0सी0 मानको के अनुसार प्रावधानित है।

4—टेरिस टैंक—प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 5000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधनित है।

5—टैरिस पम्प—प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमत 450 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 अनुसार है।

(1) डाउन कमर की व्यवस्था एन0बी0सी0 के अनुसार कराना अनिवार्य होगा।

6—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)—प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0 एस0—2190 के अनुसार प्राविधान किया गया है जो मानकों के अनुरूप प्रस्तावित है।

7—एग्जिट साईनेज—सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।

8—पी0ए0सिस्टम—पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

उपरोक्त श्री/मैसर्स बाबा सौदान सिंह वीरमती, पब्लिक स्कूल, कुरावली मुरसान तहसील हाथरस जनपद हाथरस में प्रस्तावित (स्कूल)भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा भवन निर्माण हेतु निर्गत किया गया प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(मौ0 शाहिद) 23/6/13

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

(अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन अधिकारी)

दिनांकः अलीगढ़

प्रतिलिपि— उप निदेशक,फा0स0,अलीगढ़ परिक्षेत्र,अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— अग्निशमन अधिकारी,हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner